

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 176 सन 2022

अनवान :-

1. महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मदनलाल शर्मा पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर
3. अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. विमला पत्नी रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर
3. घडसीराम पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयकुमार कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 166/164 की कुल 21.9280हैक में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 अकेला 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा तथा खाता संख्या 163/161 की कुल 3.2880हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/12 हिस्सा का तथा खाता संख्या 302/299 की कुल 5.9810हैक में वादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा, इसीप्रकार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 443/437 की कुल 4.1350हैक में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 अकेला 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा, तथा खाता संख्या 437/436 की कुल 2.6180हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा वादी संख्या 3 अकेला 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/9 हिस्सा के तथा खाता संख्या 367/360 की कुल 0.7590हैक में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 अकेला 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा, खाता संख्या 222/224 की कुल 5.1600हैक भूमि में वादी संख्या 2 अकेला 15675/51600हिस्सा वादी संख्या 3 अकेला 7883/77400हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 7883/77400 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 7883/77400हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 15767/51600 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त खातों की भूमियों का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है इसलिये वादीगण वाद भूमि को अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी

होना

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तवा कहा की वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करववा देवे तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि के सम्बध में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य हुए परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुशतरका खाते में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 3 के अनुसार है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य हुए बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुशतरका खाते में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त खातों की भूमियों का बाहमी बटवारा कर लिया जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है इसलिये वादीगण वाद भूमि को अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना एवं मन्दरपुरा की भूमि वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम मुशतरका खाते में दर्ज है।


वादीगण का कथन है कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम भूमि मुशतरका खाते में दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने वादभूमि के

समस्त खातों की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 166/164 की कुल 21.9280हैक में खसरा न0 16 की 4.9190हैक में से 2.4370हैक उतर भाग का वादी संख्या 1 अकेला तथा शेष 2.4820हैक दक्षिण भाग का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला तथा खसरा न0 183 का 1.2010हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला तथा खसरा न0 254 की 8.2200हैक में से 3.2258हैक उतर भाग का वादी संख्या 1 अकेला तथा शेष 4.9942हैक का वादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा तथा खसरा नम्बर 75/1 की 4.7800हैक में से 1.7710हैक उतर भाग वादी संख्या 1 अकेला तथा शेष 1.5045हैक भूमि मध्यभाग प्रतिवादी संख्या 2 अकेला तथा शेष 1.5045हैक दक्षिण भाग का वादी संख्या 3 अकेला तथा खसरा न0 78/1 की 2.8080हैक में से 1.2680हैक पूर्व भाग का वादी संख्या 1 अकेला शेष 1.5400हैक पश्चिम भाग का वादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा तथा रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 163/161 के खसरा न0 176/1 की 3.2880हैक में से 1.7710हैक दक्षिण भाग का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला तथा शेष 1.5170हैक उतर भाग का वादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एव रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 302/299 के खसरा न0 192 की 2.0610हैक व खसरा न0 275/2 की 3.0350हैक व खसरा न0 280/0.8850हैक कुल 5.9810हैक में से वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार अन्य सहखातेदारों के साथ रहेगा। रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 443/437 के खसरा न0 611 की 4.1350हैक में से 3.1878हैक दक्षिण भाग का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा तथा शेष 0.9472हैक उतर भाग का वादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एव रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 437/436 के खसरा न0 624/1127 की 1.7450हैक व खसरा 624/8 की कुल 2.6180हैक की प्रतिवादी संख्या 1 अकेली खातेदार काश्तकार रहेगी तथा रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 367/360 के खसरा न0 624/2 की 0.7590हैक की प्रतिवादी संख्या 1 अकेली खातेदार काश्तकार रहेगी व रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 222/224 के खसरा न0 643 की 5.1600हैक में से 4.7300हैक में से 1.012हैक का वादी संख्या 2 अकेला तथा शेष 1.947हैक का वादी संख्या 3 अकेला तथा 1.771हैक का प्रतिवादी संख्या 2 अकेला खातेदार रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मदनलाल शर्मा पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर
3. अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. विमला पत्नी रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामकुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर
3. घडसीराम पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 176 सन 2022 निर्णय दिनांक- 22/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 166/164 की कुल 21.9280हैक में खसरा न0 16 की 4.9190हैक में से 2.4370हैक उतर भाग का वादी संख्या 1 अकेला तथा शेष 2.4820हैक दक्षिण भाग का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला तथा खसरा न0 183 का 1.2010हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला तथा खसरा न0 254 की 8.2200हैक में से 3.2258हैक उतर भाग का वादी संख्या 1 अकेला तथा शेष 4.9942हैक का वादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा तथा खसरा नम्बर 75/1 की 4.7800हैक में से 1.7710हैक उतर भाग वादी संख्या 1 अकेला तथा शेष 1.5045हैक भूमि मध्यभाग प्रतिवादी संख्या 2 अकेला तथा शेष 1.5045हैक दक्षिण भाग का वादी संख्या 3 अकेला तथा खसरा न0 78/1 की 2.8080हैक में से 1.2680हैक पूर्व भाग का वादी संख्या 1 अकेला शेष 1.5400हैक पश्चिम भाग का वादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा तथा रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 163/161 के खसरा न0 176/1 की 3.2880हैक में से 1.7710हैक दक्षिण भाग का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला तथा शेष 1.5170हैक उतर भाग का वादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एव रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 302/299 के खसरा न0 192 की 2.0610हैक व खसरा न0 275/2 की 3.0350हैक व खसरा न0 280/0.8850हैक कुल 5.9810हैक में से वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार अन्य सहखातेदारो के साथ रहेगा। रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 443/437 के खसरा न0 611 की 4.1350हैक में से 3.1878हैक दक्षिण भाग का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा तथा शेष 0.9472हैक उतर भाग का वादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एव रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 437/436 के खसरा न0 624/1127 की 1.7450हैक व खसरा 624/8 की कुल 2.6180हैक की प्रतिवादी संख्या 1 अकेली खातेदार काश्तकार रहेगी तथा रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 367/360 के खसरा न0 624/2 की 0.7590हैक की प्रतिवादी संख्या 1 अकेली खातेदार काश्तकार रहेगी व रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 222/224 के खसरा न0 643 की 5.1600हैक में से 4.7300हैक में से 1.012हैक का वादी संख्या 2 अकेला तथा शेष 1.947हैक का वादी संख्या 3 अकेला तथा 1.771हैक का प्रतिवादी संख्या 2 अकेला खातेदार रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/04/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी

नोहर